

“पंडित दीनदयाल उपाध्याय  
अन्वोधय सन्धत खवाड़ा-2025”

पपन-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प पधमल

—: आदेश :-

प्राची के “खाता दुररती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पधमल  
व भूअनि. पधमल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जिलुण्ड / नायब  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोनियाणा तहसील रेलमारा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या ८४ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	सोनियाणा	८४	जीना जाति कोला	जीना देवी जाति - रेजर

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत  
रेलमारा  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक-२५९  
प्रतिवृत्ति :-

दिनांक :- १/१०/२५

१. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में  
अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

२. प्राची श्री को सूचनाार्थ।  
३. रक्षित पत्रायली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत  
रेलमारा  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,